राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ1 7(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/पार्ट–5 दिनांक– 11.04.2018

जिला कलेक्टर,
समस्त जिले
राजस्थान।

विषयः – राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के क्रम में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशों की पालना में दिनांक 01.05.2018 से प्रारम्भ हो रहे "न्याय आपके द्वार" अभियान में बैंकों को शामिल करते हुए वित्तीय समावेशन तथा भामाशाह योजना के माध्यम से लाभ प्रदान करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी हैः–

भामाशाह योजना–

1. इन शिविरों में भामाशाह योजना के अन्तर्गत क्षेत्र का शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना है। अतः भामाशाह योजना से होने वाले लाभों का प्रचार–प्रसार कर अनामांकित परिवार/ व्यक्तियों के नामांकन, नामांकन में संशोधन/अद्यतन तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लाभ की जानकारी भामाशाह में दर्ज करवाने हेतु सीडिंग के लिए आवश्यकतानुसार ई–मित्र काउन्टर लगाना।
2. ई–मित्र प्लस कियोस्क के उपयोग लेने की प्रक्रिया का प्रर्दशन तथा कियोस्क पर राज्य सरकार की योजनाओं संबंधी फिल्म भी प्रदर्शित की जाए।
3. अवितरित भामाशाह कार्डो का वितरण तथा ई–भामाशाह कार्ड मुद्रण की सुविधा उपलब्ध कराना।
4. सभी भामाशाह नामांकित परिवारों के बैंक खातों को बैंक के सॉफ्टवेयर में आधार से सीडिंग करवाना।
5. अवितरित रूपे कार्डो का वितरण तथा वितरित रूपे कार्डो का समुचित IEC कर एक्टिवेशन।
6. माईक्रो–एटीएम धारक ई–मित्र/ बैंक बी.सी. से रूपे कार्ड से कम से कम 100 ट्रांजेक्शन संपादित कराना।
7. भामाशाह योजना के संबंध में आमजन को जानकारी व शंका–समाधान करना।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना–

1. माईक्रो–एटीएम धारक ई–मित्र संचालकों एवं बैंक बी.सी. को कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए मुद्रा लोन (ऋण) आवश्यक रूप से दिलवाना।

2. बैंकों द्वारा योजना अन्तर्गत ऋण वितरण हेतु योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर शिविर से पूर्व आवेदन प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज आदि पूर्ण करना।

3. शिविर के दिन से पूर्व प्राप्त आवेदनों पर शिविर के दिन ऋण वितरण करवाना।

4. यदि कोई व्यक्ति शिविर में आवेदन करना चाहे तो उसे योजना की जानकारी प्रदान करते हुए आवेदन पूर्ण करवा कर प्राप्त करना।

5. जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक कर उक्त बैंकिंग गतिविधियों के संबंध में शिविर में बैंक की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए।

उक्त कार्यों हेतु आयोजन यथा-सम्भव अटल सेवा केन्द्र अथवा " न्याय आपके द्वार " के शिविर स्थल पर ही करवाए जाएँ ताकि इन स्थलों पर उपस्थित अधिकाधिक नागरिक इसका लाभ प्राप्त कर सकें। इन शिविरों के स्थान, तिथि एवं किये जाने वाले कार्यों का समुचित प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/पार्ट-5 दिनांक- 11.04.2018

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरि. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. राज्य समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ोदा, जयपुर।
6. महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक समस्त बैंक.....,जयपुर।
7. अग्रणी जिला प्रबंधक, समस्त जिला.....
8. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला.....
9. सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.....

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग